18/5/22 पत्रावली पेश हुई [illegible] जवाब
प्रार्थना पत्र आइन्दा दिनांक 31/5/22 को पेश हो

31/5/22 [illegible]ली पेश हुई। आज अभिभाषकगण
[illegible] रहे हैं।
[illegible]नुसार आ[illegible]दा
[illegible] 12/7/22 को पेश हो

12/7/22 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण
न्यायालयों [illegible] कर रहे हैं।
अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आइन्दा
दिनांक 13/7/22 को पेश हो

13/7/22 बतुलाह फारूकीन उर्फ बबीत प्रतिवादी ने प्रा० पत्र बाबत
दावा शून्य घोषित कर खारिज करने पर बहस की
वादी विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रा० पत्र का
जवाब न देकर सीधे बहस करनी चाही बहस विद्वान
अधिवक्तागण उभय की गई दावा मूल्य के विरुद्ध
पेश किया गया है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता
है निर्णय पृथक से टंकित कर शामिल पत्रावली रहे
दावा के साथ प्रतिवादीगण द्वारा ~~प्रतिवादी~~ प्रतिदावा
पेश किया हुआ है जो यथावत रहेगा। पत्रावली प्रतिदावा
के अग्रिम कार्यवाही हेतु आइन्दा दिनांक 16/8/22 को पेश
हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :: साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 01/2022

नरोतम पुत्र महावीर

बनाम

नथली आदि

दावा बाबत घोषणार्थ, बंटवारा, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.53, 88 व 92क राज0काश्त0अधि0 1955

प्रार्थना पत्र शुन्य घोषित कर दावा खारिज करने बाबत

निर्णय

दिनांक 13.07.2022

वकील प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस कदर पेश किया कि उनवानी दावा प्रतिवादीगण के विरूद्व बाबत घोषणार्थ बंटवारा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कियाहै जो प्रारम्भ से ही शून्य है काबिले खारिज है। दावे में वादी प्रतिवादीगण जीवित व्यक्ति ही पक्षकार होते है उक्ता ही हित निहित होता है। लेकिन वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 जमना देवी दावा दायरी से काफी अर्शा पूर्व फौत हो गई है। वादी को इसकी सम्पूर्ण जानकारी थी क्योंकि वादी व प्रतिवादी संख्या 8 जमना देवी सगे पुत्र माता है। जो संयुक्त खातेदार है। ज्ञान होते हुये भी मृतक के खिलाफ दावा पेशकिया गया हे जो कि कानून की नजर में शुन्य है मृतक व्यक्ति के विरूद्व कोई कानूनन दावा पेश नहीं कर सकता है। इसलिये प्रथमदृष्टया काबिले खारिज है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का दावा मृत व्यक्ति के खिलाफ पेश करने से खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र की नकल वकील अप्रार्थी (वादी) को दी गई। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत शुन्य धोषित कर दावा खारिज करने का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करनी चाही। विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादी द्वारा अपनी स्वयं की मृतका माता के विरूद्व वाद पेश किया गया है। मृतका वादी की स्वयं की माता होने से उनकी मृत्यु की सूचना वादी को थी इसके बावजूद वादी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व वाद पेश किया गया है जो विधि विरूद्व होने से दावा शुन्य धोषित कर मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी (वादी) ने दोराने बहस कथन किया कि वादी अनपढ़ व्यक्ति है। वादी अनपढ़ व्यक्ति होने से इस बात का ज्ञान नहीं था कि मृत व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। अतः वादी को एक मौका दिया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज कर मृतका का नाम हजफ की अनुमति दी जावे।

पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया यह तथ्य स्पष्ट है कि मृत व्यक्ति की जानकारी होते हुये भी मृत व्यक्ति के विरूद्व वाद पेश किया गया है जिसकी पुष्टि अप्रार्थी (वादी) वकील की बहस के दौरान किये गये कथन से होती है। यह

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 8 जमना देवी का देहान्त वाद दायरी से पूर्व हो चुका है तथा जमना देवी वादी की माता है। इससे इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि प्रतिवादी संख्या 8 जमना देवी की मृत्यु की सूचना वादी को नहीं थी। तमाम तथ्यों, बहस के दौरान किये गये कथनों के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत शुन्य धोषित कर दावा खारिज कियें जाने स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा मृत व्यक्ति के विरूद्व पेश होने से उपशमन में खारिज किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेश किया गया काउन्टर क्लेम नम्बर पर लिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर